(c) and (d) The Arm could not rift the paper in time and the allotment had lapsed.

development of Ballooning Technique by Central Food Technological Rs- search institute, Mysore

476. SHRIMATI MARGARET ALVA; SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: SHRIMATI AMARJIT KAUR: SHRIMATI PRATIBHA SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to take any steps to popularise the 'Ballooning Technique', for protection of the stored commodities from moisture absorption and insect and rodent attacks, which has been developed by the Central Food Technological Research Institute, Mysore; and

(b) whether the process know how has been given for commercial exploitation; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICUL TURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b) The ballooning technique developed by Central Food Technological Research Institute is mainly meant for Hygroscopic commodities like coffee and has been released to Coffee Board. This technique has not been found practicable for storage of foodgrains.

भारतीय संस्कृति के प्राचीन अवशेषों का संरक्षण

477. **श्री बापूरावजी मारुतरावजी देशमुख :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे भारतीय संस्कृति के प्राचीन पुरातत्वीय अवशेषों के संरक्षण, परिरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

Preservation of ancient relics of Indian Culture

477. SHRI BAPURAOJI MAROT-RAOJI DESHMUKH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state the steps proposed to be taken by Government for the preservation, protection and security of ancient archaeological relics of the Indian Culture?]

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24), के अन्तर्गत 3500 से अधिक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख-रेख में हैं। भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्हों और नवीन स्मारकों के अन्वेषण तथा पहचानने एवं राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में उन्हें जोड़ने का काम, एक सतत-गामी प्रक्रिया है। प्राचीन स्मारकों के सुरक्षण तथा संरक्षण के लिए सर्वेक्षण के कार्यालय समस्त देश में फैले हुये हैं। यह पहला मौका है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में स्मारकों की तरफ ध्यान देने के लिए धन-राशि प्राप्त हुई है। सामान्य बजट में भी धन-राशि के नियतन में चौगुनी वृद्धि हो गई है।

स्मृति चिन्हों की सुरक्षा के लिए स्मारकों पर देख-भाल करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई ह ; स्थलीय संग्रहालय तथा मूर्तिशालाएं बनवाई गई है और आवश्यकता के अनुसार अधिक स्थलों पर इनके निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया है। दूरस्थ तथा आवश्यक स्थलों पर सशस्त्र चौकीदार नियुक्त किये गए हैं।

t[THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Under the Ancient Monu-

t[ ] English translation.

ments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958), over 3500 monuments and sites of national importance are already under the care of the Archaeological Survey of India. It is a continuing process to explore and identify new monuments and relics of Indian Culture and add them to the list of national monuments. The Survey has offices spread all over the country to protect and preserve the ancient monuments. For the first time, in the Fifth Five Year Plan funds have been made available to the Survey to enable it to attend to a greater number of monuments than it was possible before. In the normal budget also there has been a four-fold increase in the allotment of funds.

For security of the relics watch and ward staff at the monuments have been increased, site museums and sculpture sheds have been constructed and more of them are proposed to be constructed at places according to the requirements. At remote places and where necessary armed guards have been posted.]

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

478. **श्री बापूरावजी मारुतरावजी देशमुख** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी अथवा स्वीकृति दिए जाने का विचार है ?

Sanction of Irrigation Projects

478. SHRI BAPURAOJI MAROTRAOJI DESHMUKH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the names of Irrigation Projects sanctioned or proposed to be sanctoined by Government during the current year?]

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : 1977-78 के दौरान अब तक योजना आयोग द्वारा राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिए निम्नलिखित बृहत एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों को स्वीकृति दी गई हैं :—

राज्य	परियोजना का नाम
बिहार	1. ओरनी जलाशय
	2. सुगाथन जलाशय
	3. मसरिया जलाशय
गुजरात	1. कर्जन
	2. कलूभार
कर्नाटक	हीरेहल्ला टैंक परियोजना
मध्य प्रदेश	1. बाघ या नाला
	2. झीरम नदी व्यजवर्तन (बारनदी परियोजना चरण-एक)
	3. नाहलेसारा
	4. पुटका नाला टैंक परियोजना
	5. जरमोरा टैंक
	6. बालार
	7. मटिया मोती नाला
	8. पिपरिया टैंक
	9. चोरबोरारी टैंक
महाराष्ट्र	1. बासप्पावाड़ी
	2. भटगर बांध का सुदृढ़ीकरण
उड़ीसा	बोंडापिपिली
उत्तर प्रदेश	बरडाहा

राज्य सरकारों द्वारा बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की रिपोर्टें उनके विभिन्न पहलुओं की तकनीकी जांच करने के लिए, नियमित रूप से केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जा रही है । उसके पश्चात् राज्यों की विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए ये परियोजनाएं योजना आयोग की

t[ ] English translation